

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/एल-21/2018/ दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर ।

विषय:- श्रीमती लिलम्मा पी के, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, के स्वैच्छिक सेवानिवृति
आदेश जारी करने बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 7177 दिनांक 12.09.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती लिलम्मा पी के,, महिला
स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुण्डवा के दिनांक 01.12.2018 से
स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश
क्रमांक: नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की स्वैच्छिक
सेवानिवृति पर रोक है ।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.01.2018 से कोई विशेष कारण(मेडिकल ग्राउण्ड) नहीं
होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है, अतः आप
अपने स्तर से कार्मिका को सूचित करें ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/एल-21/2018/1597 दिनांक:- 16-11-2018
प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करें ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर